उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में फलदार 200 पौधों का रोपण किया

मंदसौर। पर्यावरण संरक्षण, हरित परिसर के विकास तथा विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा शनिवार, 11 जुलाई 2026 को महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधों का रोपण किया तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने आम, अमरूद, आंवला, जामुन, नींबू तथा अन्य फलदार 200 पौधों का रोपण किया। पौधारोपण के उपरांत पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा एवं वैज्ञानिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. दीपक हरि रानडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृक्ष मानव जीवन, कृषि एवं पर्यावरणीय संतुलन के आधार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण से ही संभव है। उद्यानिकी के विद्यार्थियों की भूमिका इस दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे केवल पौध उत्पादन की तकनीक ही नहीं सीखते, बल्कि हरित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के दूत भी बनते हैं।।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रदीप तुरुकमाने ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। इस अवसर पर महाविद्यालय में संचालित ग्रीन ग्रेजुएट प्रोग्राम की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, जैव विविधता संवर्धन, जल एवं मृदा संरक्षण, स्वच्छ परिसर, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन तथा पौधारोपण एवं पौध संरक्षण जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एवं व्यवहारिक रूप से जागरूक नागरिक के रूप में विकसित करना है। ग्रीन ग्रेजुएट प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक जीवन में हरित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रभावी संदेशवाहक बन सकें। ग्रीन ग्रेजुएट प्रोग्राम (Green Graduate Program) एक अनूठी पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक करना है।छात्रों को कॉलेज या विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का काम सौंपा जाता है।

पौधा लगाना: कॉलेज में प्रवेश लेते ही प्रत्येक छात्र को एक पौधा लगाना होता है।

देखभाल: छात्र को अपनी पूरी पढ़ाई (जैसे 3 या 4 साल) के दौरान उस पौधे की नियमित रूप से देखभाल करनी होती है।

सत्यापन: पौधे के बड़े होने पर समय-समय पर उसकी तस्वीरें और स्थिति विश्वविद्यालय को देनी पड़ती है। विशेष डिग्री: सभी शर्तों को पूरा करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से जो डिग्री या मार्कशीट मिलती है, उस पर 'ग्रीन ग्रेजुएट' (Green Graduate) अंकित होता है। जिम्मेदारी की भावना: यह छात्रों को प्रकृति के करीब लाता है और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से लगाए।

एक नजर में

लायंस इंटरनेशनल रीजन-3 की ऑफिसर मीट आज

रतलाम। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जी 1 रीजन 3 की ऑफिसर्स मीट कल 12 जुलाई रविवार को स्थानीय सजन प्रभा हाल के ऊपरी तल पर प्रात: 10:30 बजे से आयोजित की जावेगी जिसमें रीजन-3 के समस्त झोन चेयरपर्सन क्लब अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सम्मिलित होकर वर्ष 2026-27 में लायंस गतिविधियों के ऊपर विचार मंथन कर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। रीजन-3 की रीजन चेयरपर्सन यास्मीन शेरानी रीजन सचिव एहतेशाम अंसारी और रीजन पीआरओ दिनेश शर्मा ने बताया कि उक्त मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप मे एमजेएफ संतोष कुमार चौहान जीएमटी कोऑर्डिनेटर अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। एमजीएफ प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राम जाट,द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ राजेंद्र सोडाणी रीजन, सलाहकार राजेंद्र गर्ग, योगेंद्र रूनवाल, डॉ. सुलोचना शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे ।

प्रधानमंत्री आवास समाधान शिविर 13 से 17 तक

रतलाम। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्रधानमंत्री आवास शिविर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक सभी जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान, जिन हितग्राहियों की आवास की रुकी हुई किश्त, दस्तावेजों में त्रुटि, आधार त्रुटि सुधार, बैंक खाते या डीबीटी से संबंधित समस्या, समग्र आईडी एवं पोर्टल से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। जिले के सभी पत्र नागरिकों से अनुरोध है कि शिविर में आते समय समग्र परिवार आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अवश्य साथ लेकर आएं।

सत्ता पक्ष की गलतियां ही विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी : तन्खा

जबलपुर.कांग्रेस को केवल धैर्य और सही दिशा में आगे बढने की जरूरत है, सत्ता पक्ष की गलतियां ही विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी. वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव का निर्णय लेगी.

यह बातें राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने शनिवार को अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं .पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जबलपुर उनका अपना शहर है और इसके विकास तथा जनहित के कार्य उनकी पहली प्राथमिकता हैं. सभी सामाजिक और राजनीतिक वर्गों के सहयोग से शहर के विकास को नई गति देने का प्रयास किया जाएगा. कांग्रेस संगठन पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार संवाद बना हुआ है. लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तन्खा ने कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काम करना चाहिए. मध्यप्रदेश की राजनीति में पहले संवाद, सम्मान और सहमति की परंपरा रही है,

देव डूंगरी में 6 हजार बीजों का रोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

- शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरदा के करीब 100 छात्र-छात्राओं, वन विभाग की टीम ने भाग लिया

मंदसौर। पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय सार्थक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में देव डूंगरी की पहाड़ी पर शनिवार को वृहद बीज रोपण एवं सीड बॉल अभियान आयोजित किया गया। अभियान में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरदा के करीब 100 छात्र-छात्राओं, वन विभाग की टीम तथा इनरव्हील क्लब की सदस्याओं ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 6 हजार से अधिक बीजों का रोपण किया गया तथा दुर्गम स्थानों पर 3 हजार से अधिक सीड बॉल डाले गए, ताकि वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से पौधे विकसित होकर पहाड़ी को हराभरा बना सकें।कार्यक्रम में वन विभाग के नरेंद्र मालवीय एवं सोनू ने विद्यार्थियों को नगर वन, पक्षी विहार, औषधीय, अरोमा एवं कैक्टस प्रभाग सहित जैव विविधता और वन संरक्षण के महत्व की जानकारी दी। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर सार्थक संस्था की सक्रिय सदस्य एवं वार्ड क्रमांक 39 की पार्षद श्रीमती भारती पाटीदार के जन्मदिन पर पीपल का पौधा लगाकर प्रकृति के प्रति समर्पण का संदेश दिया गया।कार्यक्रम के अंत में संस्था की सचिव श्रीमती रचना दोषी ने वन विभाग, इनरव्हील क्लब, विद्यालय परिवार एवं सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। संस्था की संस्थापक डॉ. उर्मिला तोमर की पहल पर आयोजित इस संयुक्त अभियान की सराहना करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज, प्रशासन और युवा पीढ़ी के सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य अधिक प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है।

प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी खंडवा में 15 को

खंडवा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 15 जुलाई को खंडवा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुबह अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में नगर निगम, वन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, परिवहन, जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य, मार्केटिंग फेडरेशन, कृषि और सहकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

कॉलोनाइजर ने रातोंरात कुआं खोद तान दी अवैध बाउंड्री

- पीढ़ियों पुराना रास्ता किया बंद, जलभराव से बिगड़े हालात
- किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नव भारत न्यूज

जावरा। जावरा क्षेत्र में एक कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते हजारों किसानों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। सेजावता दशहरा मैदान से होते हुए बरखेड़ी और उपलई गांव को जोड़ने वाले पीढी दर पीढी चले आ रहे परंपरागत रास्ते को एक कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से बंद कर दिया गया है। इस मनमानी के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लामबंद होकर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानों द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, कॉलोनाइजर ने गांव उपलई का रास्ता पूरी तरह से बाधित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। रास्ते को बंद करने के लिए कॉलोनाइजर ने पोकलेन मशीन की मदद से रातों-रात रास्ते के बीच में ही एक कुएं का निर्माण कर दिया।

इसके अलावा, परंपरागत रास्ते पर अवैध रूप से एक लंबी बाउंड्री वाल भी बना दी गई है, जिससे लोगों का पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। रास्ता बंद होने के साथ-साथ जल निकासी की समस्या ने भी विकराल रूप ले लिया है। कॉलोनाइजर ने पानी की निकासी के लिए पाइप तो डाले हैं, लेकिन कैचमेंट एरिया से आने वाले पानी की मात्रा अधिक होने के कारण सारा पानी यातायात वाले रास्ते पर ही इकट्ठा हो रहा है।

इस जलभराव के कारण कस्तूरबा भवन में कोई भी कार्यक्रम होने पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। इस स्थिति के कारण क्षेत्र के हजारों किसानों को अपने खेतों और गांवों तक आने-जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस ने लाखों की एमडीएमए ड्रग्स के साथ एनडीपीएस के पुराने आरोपी को फिर दबोचा

नव भारत न्यूज

रतलाम। जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत माणकचौक पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम एमडीएमए (एमडी) के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 10 हजार रुपये बताई गई है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में पकड़ा जा चुका है, जिससे पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो और नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर क्षेत्र में आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शादाब उर्फ भूरा पिता लईक अहमद खोखर (40) निवासी अशोक नगर, रतलाम बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 11 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई।

आरोपी के खिलाफ थाना माणकचौक में अपराध क्रमांक 372/2026 के तहत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लाता था.

निर्माणाधीन मकान की छत ढही, तीन घायल

शहडोल. जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 28 स्थित सौखी मोहल्ला में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल की छत की ढलाई के दौरान अचानक सेन्ट्रिंग का सामने का हिस्सा भरभराकर ढह गया.

इस हादसे के वक्त छत की ढलाई के काम में जुटे तमाम मजदूर सीधे नीचे आ गिरे। मलबे और ऊंचाई से गिरने के कारण तीन से अधिक मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल निर्मित हो गया।

धनपुरी निवासी मकान मालिक मयंक अग्रवाल की एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य शहडोल बुढार मार्ग स्क्वायर के पास, क्रिश्चियन हॉस्पिटल के पीछे साईं आईटीआई रोड पर चल रहा था। शनिवार को मकान की दूसरी मंजिल की छत की ढलाई का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। मिक्सर मशीन चालू थी और मजदूर पूरी तत्परता से काम में जुटे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ छत की सेन्ट्रिंग का सामने का हिस्सा बैठ गया। जब तक मजदूर संभल पाते या वहां से भाग पाते, तब तक पूरी छत नीचे गिर गई। छत पर काम कर रहे सभी मजदूर मलबे के साथ नीचे आ गिरे। आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में दो मजदूरों को बेहद गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक अन्य मजदूर को हल्की चोटें लगी हैं। सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी आदित्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने मुकेश पांडे

दमोह. जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन संपन्न हो गए हैं और मतगणना के बाद शनिवार दोपहर परिणाम भी सामने आ गया है। जिसमें अध्यक्ष पद पर मुकेश पांडे चार वोटो से विजय हुए हैं. उनकी जीत पर सभी अधिवक्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

इसके अलावा अन्य पदाधिकारी जो विजय हुए हैं उन्हें भी अधिवक्ताओं के द्वारा बधाइयां दी गई है। अपनी जीत पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यह परिवार का चुनाव था इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। वह हमेशा सभी अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं। आपको बता दें जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में कुल 585 अधिवक्ता मतदाता थे.जिसमें से 548 अधिवक्ताओं ने अपने मत का उपयोग किया था। शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला न्यायालय परिसर में यह मतदान संपन्न हुआ था। जिसमें 95 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के साथ ही कार्यकारिणी के पदों पर यह मतदान संपन्न हुआ था.

आत्मिक स्तवन से सराबोर रही चंदनबाला महिला मंडल की मासिक बैठक

मन्दसौर। चंदनबाला महिला मंडल की मासिक बैठक उत्साह एवं धार्मिक वातावरण में संपन्न हुई। बैठक के दौरान एक रोचक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बहनों ने बढ़-चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में दीपा मारू, रेखा लाबरिया, प्रतिभा तरवेचा, इंद्रा रांका, मंजू क़ीमती, इंदू चौधरी, सीमा चौरड़िया, अनिता मारू एवं नीता चपलोत ने सहभागिता की। प्रतियोगिता के परिणामों में प्रथम स्थान दीपा मारू, द्वितीय स्थान अनिता मारू तथा तृतीय स्थान सीमा चौरड़िया ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता का निष्पक्ष निर्णय अतिथि निर्णायक स्वाति रिछावरा द्वारा किया गया।इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष शशि मारू ने आत्मिक स्तवन की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी बहनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दिया।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की तृतीय बैठक में सहभागिता की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निर्देश | दायर याचिका में जबलपुर हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

ग्राम पंचायत की सभी आधिकारिक गतिविधियां करें

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सागर जिले की बांदा तहसील अंतर्गत ग्राम बामना में सरकारी योजनाएं व विकास कार्य से प्रतिबंध हटाकर उन्हें लागू किये जाने संबंधी जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा है कि पगरा बांध निर्माण के दौरान पुनर्वास योजना लागू की गई थी, जिसके तहत पात्र लोगों को मुआवजा भी प्रदान किया गया। पुनर्वास योजना के तहत मुआवज़ा लेने के बाद, ग्रामीणों को अपनी संपत्तियों पर कब्ज़ा बनाए रखने या बांध के पास मौजूद सरकारी जमीन पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि बामना का पूरा गाँव पुनर्वास योजना और बांध से प्रभावित इलाके में आता है। नतीजतन जनहित में न केवल डूबने वाली जमीन बल्कि आस-पास की जमीन को भी खाली कराना ज़रूरी है। अगर गाँव में स्थायी नागरिक सुविधाएँ और विकास कार्य जारी रखे जाते हैं. तो प्रभावित ग्रामीणों को वहाँ बने रहने के लिए बढ़ावा मिलेगा,

जिससे पुनर्वास योजना को लागू करने में रुकावट आएगी और इलाके को खाली कराने में बेवजह बाधाएँ पैदा होंगी। दरअसल यह जनहित याचिका बामना निवासी संजय यादव व जगदीश यादव की ओर से दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था ग्राम पंचायत बामना को कल्याण एवं विकास योजनाओं के लिए सरकारी निधि जारी नहीं की जा रही थी।

> पंचम नगर परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण के कारण बामना गांव का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया था, जिसमें कुछ प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया. लेकिन सभी पात्र परिवारों का पुनर्वास अभी भी अधूरा है। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने कहा कि बमाना गाँव के जिन लोगों की संपत्ति बाँध के डूब क्षेत्र में आती है, उन्हें भूमि अधिग्रहण अवार्ड के तहत पहले ही मुआवजा मिल चुका है।

मक्सी में पेट्रोल पंप पर डकैती की साजिश करते 5 गिरफ्तार

मक्सी. मक्सी पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की साजिश को विफल करते हुए पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गुलेल से पत्थर बरसाकर भागने का प्रयास किया, जिसमें आरक्षक चंद्रशेखर जाट घायल हो गए. पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में 20 जून को मक्सी में हुई लूट की वारदात भी कबूल कर ली. उनकी निशानदेही पर करीब 4.50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर एवं 30 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं. डकैती की तैयारी में इस्तेमाल की जा रही कार, पॉवर कटर, एयर प्रेशर कटर, तीन गुलेल, पत्थर एवं अन्य औजार सहित करीब 16.50 लाख का मशरूका जब्त किया है.

बालिग होने की अपनी अहमियत, उसे पसंद चुनने का अधिकार : हाईकोर्ट

जबलपुर. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बालिग होने की अपनी अहमियत होती है। उसे अपनी पसंद चुनने का अधिकार होता है। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निराकरण कर दिया।

गोकलपुर रांझी निवासी माँ की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी बेटी को रितिक चौधरी नामक युवक ले गया है। बेटी के लापता होने की रिपोर्ट उनकी तरफ से रांझी थाने में दर्ज करवाई गयी थी। बेटी की तलाश करने के पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए युवती को पेष करने के लिए पुलिस को दिये थे।

याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश की गयी युवती से युगलपीठ ने अकेले में चर्चा की। युवती ने युगलपीठ को बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से अनावेदक रितिक के साथ गयी थी और उसी के साथ रहना चाहती है। वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है और अनावेदक व किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर कोई दबाव तथा अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है।

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो उसे अपनी मर्जी की जगह पर और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तभी लागू होती है जब यह साबित हो जाए कि संबंधित व्यक्ति को गैर-कानूनी या अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।